राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 7(154)(02)एकेड./2018 जयपुर, दिनांक: 22 FEB 2019

परिपत्र

राज्य में निजी चिकित्सा/दन्त महाविद्यालय द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में वृद्धि किये जाने/नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु एसेन्सियेलिटी कम फिजीबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने के निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. प्राथमिक अर्हतायें

(1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
(2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार IMC Act, 1956 (तत्पश्चात आदिनांक संशोधित) के तहत जारी आवश्यक यू.जी. सीटों की मान्यता/अनुमति हेतु प्रदत्त केन्द्र सरकार का पत्र।
(3) राज्य सरकार द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में जारी एसेन्सियेलिटी कम फिजीबिलिटी सर्टिफिकेट की प्रति।
(4) पिछले तीन वर्ष की अंकेक्षित बैलेस शीट की प्रतियां।
(5) सक्षम प्राधिकारी से सुरक्षित आधारभूत संरचना का प्रमाण पत्र।
(6) सक्षम प्राधिकारी से जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र।
(7) विद्युत निरीक्षणालय से सुरक्षा प्रमाण पत्र।
(8) प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का सहमति पत्र।
(9) वर्तमान में सम्बन्धित विभागों में शैय्या की क्षमता।
(10) सीटों की संख्या में वृद्धि का औचित्य।
(11) एमसीआई/डीसीआई की अनुमति प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता/अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधार्थियों को प्रवेश देने सम्बन्धी अण्डरटेकिंग।
(12) मेडिकल कॉलेज हेतु राशि रू. 50,000/– व डेन्टल कॉलेज हेतु राशि रू. 30,000/– ऑन लाईन लेखा शीर्ष **0210–03–105–03–00– चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्राप्तियां** में जमा कराकर चालान की मूल प्रति।

2. एसेन्सियेलिटी कम फिजीबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु प्रकिया

आवेदक द्वारा प्राथमिक अर्हताऐं पूर्ण करने, एमसीआई/डीसीआई नॉर्म्स के अनुसार आवश्यक आधारभूत संरचना, चिकित्सकीय उपकरणों एवं आवश्यक मानव संसाधन की पूर्ति के पश्चात् राज्य सरकार को लिखित में कॉलेज के निरीक्षण हेतु सूचित किया जायेगा। कॉलेज द्वारा सूचित करने पर राज्य सरकार द्वारा कॉलेज के भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण कमेटी का गठन किया जावेगा। निरीक्षण कमेटी द्वारा MCI Standard Assessment Form के अनुसार भौतिक सत्यापन कर 15 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। प्रतिवेदन पर निम्न समिति द्वारा विचार किया जायेगा:–

1.	अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा	अध्यक्ष
2.	शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग	सदस्य
3.	संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, वित्त विभाग (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा मनोनीत)	सचिव
4.	प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सदस्य
5.	प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर	सदस्य

6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय — सदस्य
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय — सदस्य

समिति कॉलेज द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों एवं निरीक्षण कमेटी की सिफारिश के आधार पर एसेन्सियेलिटी कम फिजीबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की सिफारिश करेगी।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर माननीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर एमसीआई व डीसीआई द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एसेन्सियेलिटी कम फिजीबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(गोपाल सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी/राज्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. बोर्ड ऑफ गर्वनर्स, भारतीय चिकित्सा परिषद, पोकेट 14, सेक्टर 8, द्वारका, नई दिल्ली
7. सचिव, भारतीय दन्त परिषद, गालिब मार्ग, कोट्ला रोड़, रॉल लेन, नई दिल्ली।
8. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
9. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज।
10. प्रधानाचार्य राजकीय दन्त कॉलेज, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव